शीघ्र रिपोर्ट करें

(भावना राघव)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.) 5-8-19

5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालयः-भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

कोटा केम्प झालावाड़

रेवेन्यु अपील संख्या-   सन् 2019

1- सीताराम आयु 15 वर्ष	पिसरान रामकिशन जाति धाकड़
2- सियाराम आयु 12 वर्ष	निवासी खेड़लीमीरा
3- राकेश आयु 8 वर्ष	नाबालिगान जरिये वादमित्र संरक्षक
4- भूलीबाई आयु 17 वर्ष	माता श्रीमती सीताबाई पत्नी
5- निशाबाई आयु 10 माह	श्री रामकिशन उम्र 45 वर्ष

जाति धाकड़ निवासी ग्राम खेड़लीमीरा तहसील खानपुर

जिला झालावाड़

---अपीलान्ट-वादीगण

बनाम

1- श्रीमती रुकमणीबाई गर्ग पत्नीश्री सुरेन्द्र कुमार आयु 42 वर्ष
जाति महाजन निवासी गाडरवाड़ा नूरजी तहसील खानपुर

2- श्रीमती कलावती पत्नीश्री ओमप्रकाश आयु 35 वर्ष जाति महाजन
निवासी गाडरवाड़ा नूरजी तहसील खानपुर

3- श्रीमती रजनी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार आयु 40 वर्ष जाति
महाजन निवासी आजाद मार्ग झालावाड़ तहसील झालरापाटन

4- श्री बद्रीलाल पुत्र श्री केसरीलाल आयु 57 वर्ष जाति धाकड़
निवासी ग्राम खेड़लीमीरा तहसील खानपुर

5- श्री रामकिशन पुत्र श्री केसरीलाल आयु 52 वर्ष जाति धाकड़
निवासी ग्राम खेड़ली मीरा तहसील खानपुर

6- राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील खानपुर

...2पर

7- श्रीमान शाखा प्रबन्धक हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बाघेर

तहसील खानपुर

--- रेस्पोंडेन्ट्स-प्रतिवादीगण

प्रथम अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 26-6-2019

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर

अन्तर्गत रेवेन्यु वाद संख्या 414/2019 उनवान सीताराम

वगैरह बनाम श्रीमती रुकमणीबाई वगैरह

मान्यवर,

नम्र निवेदन हैकि अपीलान्ट्स वादीगण ने एक वाद माननीय अधिनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89, 91, 183 व 188 के तहत पेश किया जिसमें यह अनुतोष मांगा गया कि अपीलान्ट्स को पूर्वजों की आराजी में उनके हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे तथा उनके हिस्से की आराजी जिसका बेचान शून्य है घोषित किया जावे व खाते का विभाजन कर वादीगण के हिस्से में आने वाली आराजी का खाता अलग कर कब्जा दिलवाया जावे। अपीलान्ट ने अपने वाद में आराजी के बेचान पत्र को निरस्त करवाने का अनुतोष नहीं मांगा है। रेस्पोंडेन्ट ने माननीय अधिनस्थ न्यायसलय में आर्डर 7 रूल 11 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका विस्तृत जवाब वादीगण ने दिया। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनकर वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होना मानकर दिनांक 26-6-2019 को खारिज कर दिया इस आदेश/निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपील अन्य कारणों सहित निम्नलिखित कारणों से पेश है:-

1- यहकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

.....उपर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

सीताराम बनाम रूकमणीबाई

किस्म मुकदमा धारा - 223 मि. नं. 84/2019 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री बच्चूलाल, श्री बृजबिहारी गोचर

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट श्री बी. एल. माहेश्वरी, श्री अशोक कुमार गुर्जर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-04-22	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण की ओर से श्री बृजबिहारी गोचर एड० द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अभिभाषक अभिभाषक द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो किये जाने अपील पेश किया। प्रार्थनापत्र में अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण के मध्य स्वेच्छापूर्वक राजीनामा हो गया है। अपीलांटगण अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांटगण के प्रार्थना-पत्र के आधार पर पत्रावली As a विड्रोल की जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज०)	[thumb impression] नि. अ. (सीताराम) Identified [signature] सीताराम सियाराम शकेश मूली बाई Identified by [signature] (Brijbihari gochar)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ सत्यमेव जयते